न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 139/2021 प्रार्थनापत्र

अनवान

1.जगुराम पिता रामा गुर्जर आयु व्यस्क निवासी तगरिया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.केशुराम पिता लच्छूराम आयु व्यस्क निवासी तगरिया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.जवाहरलाल पिता जगुराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी तगरिया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1.मैसर्स श्याम ग्रेनाईट जरिये पार्टनर सतीश कुमार पुत्र जगदीश गुर्जर आयु व्यस्क निवासी 156 गुड़गावॅ, हरियाणा।
2. मैसर्स श्याम ग्रेनाईट जरिये पार्टनर हेमसिंह पिता मंगतराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांकरा तहसील किशनगढ़वास, जिला अलवर।
3. मैसर्स श्याम ग्रेनाईट जरिये पार्टनर भागुराम पुत्र हुकमा गुर्जर आयु व्यस्क निवासी तगरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मैसर्स श्याम ग्रेनाईट जरिये पार्टनर धर्मचन्द पुत्र नारायण गुर्जर आयु व्यस्क निवासी तगरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मैसर्स श्याम ग्रेनाईट जरिये पार्टनर नंगजी पुत्र गिरधारी गुर्जर आयु व्यस्क निवासी मोटा का खेड़ा (तगरिया) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. श्री रोशनलाल रेगर — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश कुमार जैन — अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 02.08.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम तगरिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा के आराजी नंबर 253 रकबा 5.4000 हैक्टयर बिलानाम दर्ज है जिसमें एक मामादेव का मंदिर है जिसकी सेवा चाकरी प्रार्थी जगुराम करता है। इसी आराजी का बटा नंबर 755/253 रकबा 3.0[illegible] खातेदारों के नाम दर्ज था, खातेदारों ने जिसे विपक्षीगण को विक्रय कर दिया । परन्तु [illegible] ही [illegible] रेकार्ड जमाबंदी व नक्शें ऑनलाईन करते समय आराजी नंबर 755/253 को [illegible] संख्या 72/2, 72/1 के नटमा उत्तर दिशा की ओर के बजाय आराजी संख्या 72, 75/1,व 75 के उत्तर [illegible] में रमीम कर दी। अब विपक्षीगण गलत तरमीम वाली भूमि पर काबिज होकर माईनिंग लीज बनाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

पर आमादा है। अतः आराजी नंबर 755/253 रकबा 3.08 को पूर्व तरमीम 72/2, 72/1 के सटमा उत्तर दिशा में कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 02.08.2021 को विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस करनी चाही। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

मैनें पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकील विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया। इस आधार पर पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी का तथ्य कि प्रश्नगत आराजी की कम्प्यूटराईज कार्य के दौरान हुई तरमीम गलत स्थान पर है जिसे पूर्ववत कराया जाना न्यायोचित है। निष्कर्षतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अतःएव

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तगरिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा के आराजी नंबर 253 रकबा 5.4000 हैक्टयर बिलानाम दर्ज के बटा नंबर 755/253 रकबा 0.8600 हैक्टयर को आराजी संख्या 72, 75/1,व 75 के उत्तर दिशा में हो रखी वर्तमान तरमीम के बजाय पूर्व तरमीम आराजी नंबर 72/2, 72/1 के सटमा उत्तर दिशा की ओर की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested